6-7-15	~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित ~~हैं/अनुपस्थित हैं।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/~~अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-7-15 को पेश हो। रीडर	
8-7-15	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट~~/प्रार्थी/~~अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है।~~ उपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/~~अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-8-15 को पेश हो। रीडर	
5/8/15	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी~~/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित~~ हैं। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/~~अवकाश पर~~ हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-10-15 को पेश हो। रीडर	
7-10-15	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट~~/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य~~ कार्यों में व्यस्त ~~हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-10-15 को पेश हो। रीडर	
12-10-15	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट~~/प्रार्थी/~~अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर हैं/~~अवकाश पर हैं/~~अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-11-15 को पेश हो। रीडर	
3-11-15	वकील प्रार्थीगण उप० है। बहस सुनी गई। प्रा०पत्र 136 L.R.A. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रा० फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उप जिला कलेक्टर

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
08/2015	19.03.2015	03.11.2015

1. कन्हल पुत्र सुक्की, मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
2. गोपाल पुत्र सुक्की, मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीपुर ——प्रार्थीगण

बनाम

सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि ख0नं0 5596 रकबा 2.37 हैक्टर, 5597 रकबा 6.27 हैक्टर ग्राम पीलोदा में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण के पिता सुक्की पुत्र भोरया व सट्टू, गेन्दया पि0 भोरया का हिस्सा 1/6 दर्ज था। रेवेन्यु कर्मचारियों ने सट्टू के मरने के बाद गलती से मुरारी पुत्र सट्टू का 1/12 हिस्सा एवं गेन्दया, सुक्की पि0 भोरया 1/12 हिस्सा दर्ज कर दिया है। जबकि मुरारी पुत्र सट्टू, गेन्दया एवं सुक्की पि0 भोरया प्रत्येक का 1/18, 1/18 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। यह गलती बोनाफाइड एवं क्लेरीकल गलती है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि ख0नं0 5596, 5597 ग्राम पीलोदा में मुरारी पुत्र सट्टू के हिस्सा 1/12 तथा प्रार्थीगण के पिता सुक्की पुत्र भोरया एवं गेन्दया पुत्र भोरया के हिस्सा 1/12 के बजाय प्रत्येक का 1/18, 1/18 हिस्सा दुरूस्ती किए जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलव किया गया एवं अप्रार्थी से प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम पीलोदा के ख0नं0 5596 रकबा 2.37 है0 व 5597 रकबा 6.27 है0 में प्रार्थीयान का हिस्सा भू—प्रबन्ध खतौनी के अनुसार सडू गेंदया सुक्खी पि0 भोरया हि0 1/6 हि0ब0 दर्ज है। नामान्तरकरण सं0 65 के अनुसार मुरारी पुत्र सट्टू हि0 1/12 राहिन स0मा0 सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर सिटी व गेदया सुक्की पि0 भोरया हि0 1/12 स्वीकार होने से आवेदकों का हिस्सा गलत दर्ज हो गया है। खतौनी बन्दोवस्त के अनुसार मुरारी पुत्र सट्टू हि0 1/18 व गेन्दया सुक्की पि0 भोरया का हि0 1/9 हि0ब0 दर्ज होना चाहिए ।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039 ग्राम पीलोदा, नकल नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 25.12.01 ग्राम पीलोदा नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069 ग्राम पीलोदा पेश की है।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

उप जिला कलेक्टर

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी भू-प्रबन्ध सं0 2039 के अनुसार ख0नं0 5596 रकबा 2.37 हैक्टर एवं ख0नं0 5597 रकबा 6.27 हैक्टर ग्राम पीलोदा में सटू गेंदया सुक्खी पि0 भोरया 1/6 हि0 ब0 दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 65 के अनुसार इसे मुरारी पुत्र सट्टू हि0 1/12 राहिन स0मा0 सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहिन गेंदया सुक्की पि0 भोरया 1/12 दर्ज कर दिया गया है जबकि यह मुरारी के नाम 1/18 व गेंदया सुक्की पि0 भोरया के नाम 1/9 हि0 ब0 दर्ज होना चाहिए था। तहसीलदार वजीरपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी अनुसार इन्द्राज दर्ज किए जाने की बात अंकित की है। प्रार्थीगण इसी अनुसार अभिलेख दुरूस्ती कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी ख0नं0 5596 रकबा 2.37 हैक्टर, 5597 रकबा 6.27 हैक्टर ग्राम पीलोदा में दर्ज प्रविष्टि मुरारी पुत्र सट्टू हि0 1/12 राहिन स0मा0 सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन गैंदया सुक्की पि0 भोरया 1/12 के स्थान पर प्रविष्टि मुरारी पुत्र सट्टू हि0 1/18 राहिन स0मा0 सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन, गैंदया, सुक्की पि0 भोरया 1/9 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इन नम्बरो की खातेदारी में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने हेतु निर्णय की एक प्रति तहसीलदार वजीरपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे ।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी